प्रेस नोट

दिनांक 04.09.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 382/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील पासवान उर्फ अप्पून को थाना परसपुर ग्राम मलांव के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन को विपक्षी सुनील पासवान द्वारा शादी करने की नियत से बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 04.09.2026 को थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त सुनील पासवान उर्फ अप्पून को थाना परसपुर ग्राम मलांव के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील पासवान उर्फ अप्पून पुत्र भुलई पासवान निवासी ग्राम पासिमनपुरवा पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 382/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 आकाश दीप
2. का0 राहुल कुमार
3. म0का0 गीता वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.09.2026, थाना इटियाथोक

जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा देकर ₹1.30 लाख की चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से ₹1,00,700/- नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

कार्यवाही-

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 310/2026 धारा 303(2), 318(4), 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त 01. शक्ति उर्फ शक्तिराम, 02. मोटो उर्फ सूर्यनारायन पथरकट व 03. राधेश्याम उर्फ बाबू जी को शनि देव मन्दिर के पास खरगूपुर रोड़ के बेन्दुली मोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ₹1,00,700/- नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल TVS RAIDER बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.09.2026 को वादी श्री कफील अहमद पुत्र जलील अहमद निवासी बैजपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक को लिखित तहरीर दी गयी कि अपनी बहन के ऑपरेशन हेतु वह गोण्डा स्थित एक निजी हॉस्पिटल आया था, जहाँ उसकी मुलाकात मोटे पथरकट एवं शक्ति नामक व्यक्तियों से हुई। बातचीत के दौरान उक्त व्यक्तियों ने गांधी चबूतरा के पास सस्ते दाम पर जमीन दिलाने का झांसा दिया। विश्वास में आकर वादी ₹1,30,000/- लेकर उनके साथ गांधी चबूतरा पहुंचा, जहाँ दो अन्य व्यक्ति भी मिले। जमीन दिखाने के बहाने उक्त लोगों ने वादी को काफी देर तक इधर-उधर घुमाया तथा उसके पेशाब करने जाने के दौरान बैग से ₹1,30,000/- निकालकर सभी मौके से फरार हो गए। वादी द्वारा काफी तलाश एवं फोन करने पर सभी के मोबाइल बंद मिले। तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 04.09.2026 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तों 01. शक्ति उर्फ शक्तिराम, 02. मोटो उर्फ सूर्यनारायन पथरकट व 03. राधेश्याम उर्फ बाबू जी को शनि देव मन्दिर के पास खरगूपुर रोड़ के बेन्दुली मोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ₹1,00,700/- नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल TVS RAIDER बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक लाभ के लिए भोले-भाले लोगों को सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं तथा धोखाधड़ी एवं चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वादी कफील अहमद को अपने विश्वास में लेकर सस्ते दाम में जमीन दिलाने का झांसा दिया था तथा पूर्व में दिनांक 13.08.2026 को ₹1,50,000/- ले चुके थे तथा दिनांक 02.09.2026 को ₹1,30,000/- लेकर गांधी चबूतरा के पास बुलाया गया था। वहां जमीन दिखाने के बहाने वादी को इधर-उधर घुमाते रहे तथा उसके पेशाब करने जाने के दौरान उसके बैग में रखे ₹1,30,000/- चोरी कर मौके से मोटरसाइकिल से फरार हो गए। चोरी की गई धनराशि को आपस में बांट लिया गया था तथा पुलिस से बचने के लिए सभी अभियुक्त अपने घर नहीं गए थे।

नोटः- अभियुक्त शक्तिराम उर्फ शक्ति थाना खरगूपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1. शक्ति उर्फ शक्तिराम पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पंचरंन पृथ्वीनाथ चौराहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा
2. मोटे उर्फ सूर्य नारायन पथरकट पुत्र अमरेश निवासी ग्राम फतेहगढ़ पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा
3. राधेश्याम उर्फ बाबू जी पुत्र स्व0 गोगे निवासी इमिलिया खरगूपुर महलिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1. मु0अ0सं0 310/2026 धारा 303(2), 318(4), 317(2) बीएनएस थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

1. थानाध्यक्ष श्री गौरव तोमर थाना इटियाथोक, गोण्डा।
2. उ0नि0 राजेश दूबे
3. हे0का0 इमरान अहमद
4. हे0का0 धनन्जय यादव
5. का0 सूर्यनाथ यादव

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त शक्ति उर्फ शक्तिराम</u>

1. मु0अ0सं0 92/03 धारा 401 भा दं सं 1860 थाना खरगपुर जनपद गोंडा
2. मु0अ0सं0 93/03 धारा 4/25 इंडियन आर्मस एक्ट, 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
3. मु0अ0सं0 94/03 धारा 4, 25 इंडियन आर्मस एक्ट, 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
4. मु0अ0सं0 007/07 धारा 458, 380 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
5. मु0अ0सं0 45/08 धारा 489/380 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
6. मु0अ0सं0 139/16 धारा 4, 25 इंडियन आर्मस एक्ट, 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
7. मु0अ0सं0 383/17 धारा 401 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
8. मु0अ0सं0 389/17 धारा 380, 504 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
9. मु0अ0सं0 76/18 धारा 457, 380 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
10. मु0अ0सं0 143/18 धारा 323, 504 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
11. मु0अ0सं0 76/18 धारा 457, 380 भा दं सं 1860 थाना कौड़िया जनपद गोंडा
12. मु0अ0सं0 147/18 धारा 323, 504 भा दं सं 1860 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा
13. मु0अ0सं0 72/19 धारा 3, 25 इंडियन आर्मस एक्ट, 1969 थाना खरगूपुर जनपद गोंडा

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त राधेश्याम उर्फ बाबू जी</u>

1. मु0अ0सं0 221/2024 धारा 406/411/420 भा0द0वि थाना कोतवाली नगर बलरामपुर
2. मु0अ0सं0 191/2023 धारा 406/420 भा0द0वि0 थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.09.2026

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0-489/2026 धारा 64(1),191(2), 115(2), 352, 351,(3), 137(2), 64(2)(M) बीएनएस 5(j)(2)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मन्नान पुत्र इन्सान अली को रेवाडी रोड, निकट बैरागीपुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2026 को थाना को0कर्नलंगज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक महिला द्वारा थाना को0कर्नलगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को विपक्षी मन्नान द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। कुछ समय बाद विपक्षी के परिजनों द्वारा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पुत्री का जबरन निकाह कराया गया। दिनांक 06.06.2026 को उसकी पुत्री के अकेले होने का फायदा उठाकर उसके जेठ उनकी पुत्री के साथ दुराचार किया। तहरीर के आधार पर थाना को0कर्नलंगज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 04.09.2026 को थाना को0कर्लनंगज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त मन्नान पुत्र इन्सान अली को रेवाडी रोड, निकट बैरागीपुरवा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मन्नान पुत्र इन्सान अली निवासी रेवारी थाना को0कर्नलगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-489/2026 धारा 64(1), 191(2), 115(2), 352, 351,(3), 137(2), 64(2)(M) बीएनएस 5(j)(2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा
2. हे0का0 कमल सिंह
3. भगवान प्रसाद शुक्ला

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.09.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा व 01 सीएनजी आटो रिक्शा बरामद-

कार्यवाही

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 815/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की गई ई रिक्शा की घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने के 03 आरोपी अभियुक्तों 01. ननके उर्फ महेन्द्र पाण्डेय, 02. रामबाबू सिंह व 03. शिवशंकर पाण्डेय उर्फ मटर पाण्डेय को राजेन्द्र लहड़ी समाधी स्थल के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी गई 01 अदद सफेद रंग का ई रिक्शा व 01 एदद सीएनजी आटो रिक्शा बिना नम्बर के बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.09.2026 को वादी दीपक दूबे पुत्र रामकृपाल दूबे निवासी डिडिसिया कला (डिहवा) थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित सूचना दिया की वह अपने घर के काम के लिए इ रिक्शा के साथ आर्यन टामसन के पास आया था जहाँ अपना ई रिक्शा खड़ा करके काम के लिए चला गया था कि किसी अज्ञात चोरो द्वारा उनका ई रिक्शा चोरी कर लिए थे। काफी खोज बीन किया कुछ पता नही चला। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 04.09.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने के 03 आरोपी अभियुक्तों 01. ननके उर्फ महेन्द्र पाण्डेय, 02. रामबाबू सिंह व 03. शिवशंकर पाण्डेय उर्फ मटर पाण्डेय को राजेन्द्र लहड़ी समाधी स्थल के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी गई 01 अदद सफेद रंग का ई रिक्शा व 01 एदद सीएनजी बिना नम्बर के बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. ननके उर्फ महेन्द्र पाण्डेय पुत्र तिलकराम पाण्डेय निवासी हरखापुर पो0 माधवपुर थाना को0देहात गोण्डा
2. रामबाबू सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी बेलसर पो0 रगड़गंज थाना तरबगंज गोण्डा
3. शिवशंकर पाण्डेय उर्फ मटर पाण्डेय पुत्र जानकी प्रसाद पाण्डेय नि0लउवाटेपरा थाना को0 देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0-815/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगीः-

1. 01 अदद सफेद रंग का ई रिक्शा
2. 01 एदद सीएनजी आटो रिक्शा बिना नम्बर प्लेट का बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम

1. उ0नि0 शुभांशु पाठक
2. उ0नि0 सोनू कुमार
3. का0 बृजेश कुमार
4. का0 विमल सिंह
5. का0 अमित यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।